

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2022 / 262

दिनांक :- 05.5.2022

मुकदमा नंबर 88 / 2021

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|------|---|
| <ol style="list-style-type: none"> हेमसिंह पुत्र खेतसिंह देवीसिंह पुत्र खेतसिंह जीवराज पुत्र खेतसिंह कमलादेवी बेवा लुणसिंह समी जातियान राजपुरोहित समी निवासीयान आसराबा दुदावतान पटवार हल्का आसराबा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर । | | <ol style="list-style-type: none"> नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह नैनसिंह पुत्र मगसिंह जीवराज पुत्र मगसिंह जातियान राजपुरोहित बुधाराम पुत्र बीजाराम लूम्वाराम पुत्र बीजाराम जातियान मेगवाल सरपंच ग्राम पंचायत अराबा चौहान डुंगरसिंह पुत्र धोकलसिंह मोहनसिंह पुत्र प्रभुदान सिंह समी जातियान राजपुरोहित नि0 आसराबा दुदावतान राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा फोर्मल पक्षकार :- 10. भीखसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित पता श्री राजगुरु स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट एक्सीस बैंक के पास बाई पास खण्डेला सीकर विजयसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित पता राजस्थान स्वीट मार्ट, भगवान महावीर रोड, नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स के सामने पोस्ट बुलडाना, जिला बुलडाना (महाराष्ट्र) जमना पत्नी सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसराबा तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर । |

आदेश


दिनांक :- 05.05.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा आसराबा दुदावतान पटवारी क्षेत्र आसराबा भू-निरीक्षक कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा नं0 200 रकबा 32 बीघा है। विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करे।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
बालोतरा
दिनांक :- 5-5-2022

क्रमांक / रीडर / 2022 / 262

- तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये



(नरेश सोनी)
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
बालोतरा